न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 41/2019 (2019/00343)

1.भागचंद पुत्र स्वर्गीय श्री मोतीलाल
2.अमरचंद पुत्र स्वर्गीय श्री मोतीलाल
3.श्रीमति सम्पत देवी पुत्री स्वर्गीय श्री मोतीलाल
4.रामनिवास पुत्र स्वर्गीय श्री किशनलाल
5.गणेश पुत्र स्वर्गीय श्री किशनलाल
6.पोखरलाल पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण
7.सीताराम पुत्र स्वर्गीय श्री रामेश्वर
8.श्रीमति सीतादेवी पुत्री स्वर्गीय श्री रामेश्वर
9.ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण
सभी जाति जाट निवासीगण कोटा रोड़ केकडी जिला अजमेर --- प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू अभिलेख केकड़ी जिला अजमेर
--अप्रार्थीगण

2.नगर पालिका केकड़ी जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका केकडी
3.नगर पालिका केकड़ी जरिये अध्यक्ष नगर पलिका केकड़ी --प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः-श्री आशुतोष शर्मा -अभिभाषक प्रार्थी
श्री कमलेश कुमार शर्मा- अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 3
तहसीलदार केकड़ी - पैराकार सरकार अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

आदेश

दिनांक 18·3·21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाकै ग्राम केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या नया-पुराना 240-1244 खसरा संख्या 3337 रकबा 01.02.10 बीघा माल के नये नबर 3767 व रकबा 0.18 हैक्टर है। उक्त आराजी बतौर खातेदार मोतीलाल,किशनलाल,पोखरलाल,रामेश्वर व ओमप्रकाश के नाम अंकित थी,तत्पश्चात कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकारी अधिकारी नगर पालिका क्षैत्र केकड़ी के आदेश कमांक/राजस्व/2002/विसअधि/99/279 दिनांक 09.09.2004 के द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 3767 रकबा 0.18 हैक्टर का अंकन नगर पालिका केकड़ी के नाम दर्ज किया गया। उपरोक्त वर्णित आराजी निरंतर प्रार्थीगण के कब्जे,स्वामित्व,उपयोग,उपभोग मे चली आ रही है,तथा उक्त आराजी पर पुख्ता रिहायशी मकान बने हुए है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात के खसरा नंबर जमाबंदी मे 3337 थे तथा इसी अनुरूप नक्शा ट्रेस जो राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया था लेकिन राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश के वर्तमान नक्शा ट्रेस तैयार करते समय पूर्व नक्शे की स्थिति को बिल्कुल बदलते हुए प्रार्थीगण की आराजीयात को गलत तरमीम करते हुए नक्शे मे आराजीयात का क्षैत्रफल कम दर्शाया गया है,जबकि वर्तमान नक्शा ट्रेस मे भी पूर्व के नक्शा ट्रेस के आधार पर ही तरमीम की जानी चाहिए थी,राजस्व अधिकारियों ने ऐसा नहीं कर गलत तरमीम कर नक्शें मे प्रार्थीगण की आराजीयात को कम दर्शा दिया है। जिसे दुरूस्त किया जाकर वर्किंग नक्शे के अनुसार एवं वर्तमान जमाबंदी मे वर्णित रकबे के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी संस्था अथवा व्यक्ति को यह अधिकार हांसिल नहीं है कि वे बिना किसी आधार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिकरी के वादीगण की आराजीयात के नक्शे को बदल सके तथा ना ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे प्रार्थीगण की आराजीयात की लम्बाई चौडाई किस्म आदि मे कोई परिवर्तन हो। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 01.10.2019 को तब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी नक्शा दुरूस्त नहीं किया गया व अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। अतः यह प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:20:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 41/19(2019/00343)
भागचंद बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र धारा 131 भू0 रा0 अधि0
आदेश दिनांक

को दुरूस्त किया जाकर पूर्व वर्किंग नक्शें के अनुसार एवं वर्तमान जमाबंदी मे वर्णित रकबे के अनुसार की स्थिति कायम करते हुए वर्तमान नक्शा ट्रेस मे तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार केकड़ी ने अपने जवाब मे बताया कि कस्बा केकड़ी के हाल खसरा नंबर 3767 रकबा 0.18 है,0 के साबिक खसरा नंबर 3337 का साबिक नक्शा सीट का अवलोकन किया गया जो तहसील कार्यालय मे जीर्ण शीर्ण अवस्था मे जिसकी जैसी भी स्थिति है वैसा नक्शा ट्रेस तेयार कर मिलान किया गया। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक नक्शे के मुकाबले वर्तमान नक्शा छोटा बना दिया गया है। वर्तमान नक्शा का क्षैत्रफल 0.13 है0 जितना ही है। हाल खसरा नंबर 3767 की दुरूस्ती खसरा नंबर 3759 की और होती है , खसरा नंबर 3759 भी नगर पालिका केकड़ी के नाम दर्ज है। अतः नगर पालिका केकड़ी को सुना जाना उचित है, प्रस्तावित दुरूस्ती का प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अप्रार्थ संख्या 2,3 ने अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित सम्पदा खसरा संख्या 3767 रकबा 0.18हैक्टर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी। चूंकि उक्त संम्पदा नगर पालिका क्षैत्र मे आबदी मे स्थित है जिस कारण कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका क्षैत्र केकड़ी के आदेश कमांक राजस्व/2002/विसअधि/99/279 दिनांक 09.09.2004 के द्वारा उक्त सम्पदा को नगर पालिका केकड़ी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया गया। राजस्व नक्शा ट्रेस का निर्माण व संघारण का कार्य अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का ना होकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किया जाता है जिस कारण जो भी कार्यवाही की गई है। एव किया जाना है। वह अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही किया जाना है। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमे बताया गया कि पुराना नक्शा जीर्ण शीर्ण अवस्था मे है जिस कारण उसे जैसे तैसे तैयार कर वर्तमान नक्शे से मिलान करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो वांछित संशोधन बताया गया है वह पुराने जीर्ण शीर्ण नक्शे के आधार पर बताया गया है। चूंकि पुराना नक्शा जीर्ण शीर्ण अवस्था मे है जिस कारण पुराने वास्तविक नक्शें की स्थिति न्यायालय के समक्ष नही है। एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो वाछित संशोधन बताया गया है वह भी थोड़ा सा मौके की स्थिति के अनुरूप नहीं है। जिस कारण वर्तमान नक्शे को मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार संशौधित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते नक्शा संशोधन स्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश दिया जावे कि वह मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस से संशौधन करे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान को सुना। प्रार्थी वकील की लिखित बहस व अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब से यह जाहिर होता है कि कस्बा केकड़ी के हाल खसरा नंबर 3767 रकबा 0.18 है0, साबिक खसरा नंबर 3337 से बना है साबिक नक्शा सीट जीर्ण शीर्ण अवस्था मे है,जिसके आधार पर वैसी ही नक्शा सीट तैयार की जाकर मिलान किया गया जिससे भी पाया गया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक नक्शे के मुकाबले वर्तमान नक्शा छोटा बना दिया गया है। वर्तमान नक्शा का क्षैत्रफल 0.13 है0 जितना ही है। जबकि 3367 का क्षैत्रफल जमाबंदी के अनुसार 0.18 है0 है। जिससे प्रथम [illegible] यह पाया जाता है कि खसरा नंबर 3767 का क्षैत्रफल 0.05 है0 कम है। जो साबिक [illegible] अनुसार दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता [illegible] संख्या 01 तहसीलदार केकड़ी कस्बा केकड़ी के खसरा नंबर 3767 का नक्शा दुरूस्त कर [illegible] कार्यवाही करे, नक्शे की आकृति को पुराने नक्शे की आकृति का [illegible] है इसके स्थान पर सही क्षैत्रफल 0.18 है0 खसरा नंबर [illegible] की ओर [illegible] खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:20:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला अजमेर)
केकड़ी

Scanned with CamScanner